

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 91/सीका/1998-99

यह प्रमाणित किया जाता है कि विपेकानन्द पटविकर
संस्थान-रीगेर जिला सीका का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 23 माह फरवरी सन् एक हजार नौ सौ नवम्बर
में दिया गया।



आर.के. शर्मा
रजिस्ट्रार (संस्थाएं)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
सीका